झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–10 / 2020

जितेन सिंह मुंडा उर्फ मलखान .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री अभिषेक कुमार दुबे, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री एच0पी0 सिंह, ए0पी0पी0।

02 / 15.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता ईचागढ़ थाना काण्ड संख्या 17 वर्ष 2019 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 475 वर्ष 2019 के संबंध में एक आरोपी हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता ने शादी के बहाने पीड़िता का यौन शोषण किया था और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया था।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि जाँच के दौरान, सूचक को व्यस्क पाया गया था, इसलिए केवल धारा 376 और 417 आई0पी0सी0 के तहत ही आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित ने सी0आर0पी0सी0 की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया गया है जिसमें फर्दबयान में लिया गया उसका रूख दोहराया गया है। याचिकाकर्त्ता 15.06.2019 से हिरासत में प्रतीत होता है।

चूँकि ऐसा प्रतीत होता है कि सूचक ने याचिकाकर्त्ता को यौन संबंध के लिए सहमति प्रदान की थी, इसके साथ याचिकाकर्त्ता के हिरासत की अवधि के आलोक में उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार) रूपये के जमानत एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सरायकेला के संतुष्टि पर, ईचागढ़ थाना काण्ड संख्या 17 वर्ष 2019 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 475 वर्ष 2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)